बायोफार्मास्यूटिकल का माल सप्लाई करने के नाम पर फ्राड, तीन अभियुक्त दबोचे

-मेसर्स बाला जी पावरटेक ने दर्ज कराया थाना चकेरी में साइबर फ्राड का मुकदमा
-बायोफार्मास्यूटिकल का माल सप्लाई करने के नाम पर 1,81,25,375/- रु का फ्राड
-क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग-अलग राज्यों से तीन अभियुक्तों को दबोचा
-पकड़े गये अभियुक्तों के पास से बड़ी मात्रा में ठगी करने का सामान और प्रपत्र मिले
-पूछताछ में अभियुक्तों ने बीते तीन साल से ठगी का धंधा करने की बात कबूल की
-अभियुक्त जनक सिंगापुर से एमबीए की डिग्री लेकर कर रहा था ठगी का काम
-पकड़ा गया एक अभियुक्त पहले भी ठगी करने के मामले में जेल जा चुका है

कानपुर: बायोफार्मास्यूटिकल का कच्चा माल सप्लाई करने के नाम पर थाना चकेरी निवासी कंपनी से पौने दो करोड़ रुपये का फ्राड हो गया। कंपनी के मालिक को जब अपने साथ हुई ठगी के बारे में पता चला तो उन्होंने थाना चकेरी में मुकदमा पंजीकृत कराया और क्राइम ब्रांच से शिकायत की। कमिश्नरेट कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की पड़ताल की और ठगी में शामिल तीन अभियुक्तों को दबोच लिया, अभियुक्तों के पास से ठगी करने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस अभी ठगी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है।

थाना चकेरी में लिखाया मुकदमा

घटना क्रम के अनुसार दिनांक 18/06/2022 को राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रामचन्द्र गुप्ता निवासी डी-83 डीफेन्स कालोनी जाजमऊ कानपुर नगर (मेसर्स बाला जी पावरटेक) ने साइबर सेल, क्राइम ब्रांच आकर अपनी शिकायत दर्ज किया कि मेरे साथ दवा के कच्चे माल(बायोफार्मासूटिकल) उपलब्ध कराने के नाम पर 1,81,25,375/- रु (एक करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचहत्तर रुपए) का फ्राड हो गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर पर मु0अ0सं0 907/2022 धारा 420/406 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

यूके के डा0 फ्रैंक नाम से आया था ईमेल

साइबर सेल क्राइम ब्रांच द्वारा जाँच की गयी तो प्रकाश में आया कि आवेदक के पास एक ई0 मेल किसी यू0के0 में स्थित डा0 फ्रैंक नाम से आवेदक की ई0मेल आई0डी0 पर एक खरीद की इनक्वाइरी हेतु आयी जिसमें राजेश कुमार गुप्ता से बायोफार्मासूटिकल सामान बनाने हेतु रा मेटिरियल सप्लाई करने की बात कही गयी औऱ बताया गया कि आपको इण्डिया के कुछ छोटे किसानों से सम्पर्क करना है और उनका कच्चा माल खरीद कर इसे इक्ट्ठा

करना है औऱ जब आपका 150 पेटी माल इकट्ठा हो जाए तो हम लोगो को यू0के0 मे सप्लाई करना है। जिसके बाद राजेश कुमार गुप्ता को कुछ लोगों के मोबाइल नम्बर भी दिए गए जिनसे उन्हे रॉ मैटेरियल लेना था। राजेश कुमार गुप्ता ने जब उन लोगो को सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि हम मैटेरियल की खेती करते है और आपको सब मिल जाएगा। जिसके बाद राजेश कुमार गुप्ता ने उनसे माल मँगाना शुरु किया और उनके बताए 9 विभिन्न बैंक खातों में कुल रुपया 1,11,53,625/- भेज दिए।

150 पैकेट जुटा लिये फिर किया संपर्क

जब राजेश कुमार गुप्ता ने 150 पैकेट परचेस आर्डर के हिसाब से खरीद लिए तो उसने मेल के माध्यम से डा0 मैट ग्रूम को सूचित किया जिस पर उन्होने कहा कि हम आपका पेमेंट कराने के लिए अपना एक प्रतिनिधि जिसका नाम डा0 ओवेन स्मिथ है को भारत भेज रहे हैं जो आपसे सम्पर्क कर आपका पेमेंट करायेंगे और आपसे 150 पैकेट डिलीवरी ले लेंगे। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति का फोन मेरे पास आय़ा जिसने अपने आप को डा0 ओवेन स्मिथ नाम से परिचित कराया और कहा कि पेमेन्ट देने के लिए उनको Embassy में कुछ Administrative Charges एवम् Conversion Charges देने पड़ेंगे और उनके Travelling Charges देने पड़ेंगे जिसके मद में उन्होंने हमसे कुल 69,71,750/- रू0 देने पड़ेगे। जिसका आवेदक ने उनके बताए खाते में सारे पैसे डलवा दिए।

24 लाख रू0 की मांगी घूस

इस पूरे भुगतान के बाद डा0 ओवेन स्मिथ ने हमसे कहा कि आपका पेमेन्ट हमने प्रोसेस कर दिया है एवं आपको यह पेमेन्ट अगले 24 घण्टे के अन्दर आपके बैंक में प्राप्त हो जायेगा। जब मुझे कोई रुपए प्राप्त नही हुए तो आवदेक ने डा0 ओवेन स्मिथ से इस विषय में बातचीत करी जिस पर उन्होंने फिर कहा कि भारत के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के लोग 24 लाख रू0 की घूस माँग रहे हैं जब घूस की बात आयी तो आवेदक कुछ शक हुआ और हमने यह 24 लाख का पेमेन्ट यह कहते हुए टाल दिया कि हम 5-7 दिन में कराते है। जिसके बाद मैने थाना चकेरी में मुकदमा लिखाया था और साइबर सेल में प्रार्थना पत्र दिया था।

तीन टीमों का हुआ गठन

ठगी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये तीन टीमों का गठन किया गया। टीमों ने विभिन्न राज्यों में कारवाई करके तीन अभियुक्तों को दबोच लिया। जिनके पास से घटना से सम्बन्धित तमाम तरह के दस्तावेज जैसे विभिन्न बैंको के पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम आदि भारी मात्रा में बरामद किए गए पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि ये संगठित होकर इस तरह के अपराध करते हैं प्रतिदिन सैकड़ों लोगो से सम्पर्क कर फर्जी कहानी बनाकर पैसे मागे जाते हैं।

सिंगापुर से ले रखी एमबीए की डिग्री

पकड़े गये अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जनक कुमार पटेल उपरोक्त ने सिंगापुर से MBA की डिग्री ली है तथा इससे पहले भी ई0ओ0डब्लू0 यूनिट 04 मुम्बई से वर्ष 2016 में वीजा कन्सलटेन्सी के फ्राड में जेल जा चुका है। अभि0 अजहर थाना साइबर पुलिस स्टेशन वर्ली मुम्बई से मु0अ0सं0 03/2022 धारा 420/406 भा0द0वि0 66(A) IT ACT में जेल जा चुका है।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा 3 वर्षों से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं।

हमारी एक टीम विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर फर्जी बैंक खाते खुलवाती हैं ताकि अपने वास्तविक पहचान को छिपाते हुए यह अपराधिक कृत्य किया जा सके ।अभियुक्त रमेश कुमार जायसवाल पुत्र राम भान जायसवाल द्वारा खुद का करंट काउण्ट एवं फर्म रजिस्टर करके फर्जी लेन देन का कार्य किया जाता है। अभियुक्त जनक कुमार पटेल पुत्र अम्बा लाल पटेल द्वारा लोगो से सम्पर्क कर फर्जी एकाउंट खुलवाया जाता है। अभियुक्त अजहर पुत्र अनीश अंसारी द्वारा लोगो से सम्पर्क कर फर्जी मोबाईल सिम लिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1.जनक कुमार पटेल पुत्र अम्बा लाल पटेल निवासी 27 स्मूर्ति दर्शन सोसाइटी पीडी पण्ड्या कालेज रोड बटवा अहमदाबाद गुजरात ।

2.रमेश कुमार जायसवाल पुत्र राम भान जायसवाल निवासी ग्राम दरीमा डोल पोस्ट भदौरा थाना मझौली जिला सीधी मध्यप्रदेश

3.अजहर पुत्र अनीश अंसारी निवासी पी.एल. लोखण्डे मार्ग मुम्बई ।

बरामदगी- भिन्न-भिन्न बैंक की 19 चेक बुक, 6 बैंक पासबुक, 23 मोबाईल सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 10 सील स्टाम्प (मुहर), 1 लैपटाप, 7 मोबाईल फोन, विभिन्न फर्मो के फर्जी दस्तावेज, 3 पैन कार्ड, 8 आधार कार्ड, 1 फर्जी यूपीआई, 2 रजिस्टर, विभिन्न फर्मो के जीएसटी कार्ड, 1 एटीएम किट बरामद हुई।

गिरफ्तार करने वाली टीम में नि0 रोहित कुमार तिवारी साइबर सेल, अति0नि0 जितेन्द्र सिंह,हे0का0 राहुल पाण्डेय, हे0का0 जितेन्द्र कुमार, का0 राजीव कुमार, का0 जितेन्द्र, आ0चा0 प्रवीण कुमार शामिल रहे।